प्रेषक,

बी0 चन्द्रकला,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक नवम्बर, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 56/लेखा-अ, दिनांक 11-06-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक(अधि0) के पत्रांक -587/अधि0-1/बजट, दिनांक 11-06-2021 की प्रति संलग्न कर कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैकिंग लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अंशपूंजी मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित प्राविधानित धनराशि रूपये 3500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4425-सहकारिता पर पूँजीगत् परिव्यय, 107-क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 04-अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाईसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अंशपूँजी, 30-निवेश/ऋण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व विभाग का होगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि योजना अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित हो। स्वीकृत धनराशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी। (3) प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति इस प्रकार निर्गत की जायेगी कि अधिक से अधिक जिला सहकारी बैंकों को एक ही बार में संतृप्त किया जा सके।
(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।
(5) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों के क्रियाकलापों एवं प्रगति की अनवरत रूप से समीक्षा/निगरानी इस प्रकार की जाये कि सम्बन्धित बैंक लाभ में हों तथा उन्हें पुनः किसी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता न पडे, इसका दायित्व प्र0वि0 का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार, राज्य सरकार व नाबार्ड के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 दिनांक 16-2-2015 के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के अवशेष अंश को शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

(9) विभाग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप निर्देश दिनांक 22-3-2021 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय यू0ओ0-संख्या-ई-2- A049-20212022-001-49 3099 47 2021, दिनांक 09.11.2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

उक्त शासनादेश दिनांक 29.11.2021 को निर्गत किया जा चुका है। अत: इसे यथावत पढ़ा जाय।

भवदीया,

बी0 चन्द्रकला
विशेष सचिव।

संख्या: 18/2021 (1) 49-3099/47/2021 -3, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक(अधि0), सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या:587/अधि0-1/बजट, दिनांक 11.06.2021 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 दीपक कोहली
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।